Serial No. 8642 Book No. :- 1 Deed No. 8429

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR P 14818

Serial No. 8642 Deed No. 8429

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 04/09/2014 by Prem Ratan Singh
A Stamp Duty of Rs. 721500/- and other Fees of Rs. 20600/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 8429 in Book No. 1, Volume No. 171 on pages from 182 to 199 and has been preserved in total 18 pages in C.D. No. 26 / Year 2014

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.

4/9/2014

Signature with Date
(Dhananjay Kumar Rao)
Registering Officer, Danapur

Date: 04/09/2014 Token No: 8707 /2014

बिहार सरकार SCORE 3.0

विकास कार्य एकरारनामा

(DEVELOPMENT AGREEMENT)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक ---------- माह सितम्बर सन् 2014 ई0

को :-

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.

Director

PAN AAECD 6269P

1000/-

(4)

बिहार सरकार
निबंधन विभाग

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंध शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम /पता- दीक्षा बिल्डकॉन (प्रा०) लि०
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है)
2. दस्तावेज का प्रकार- विक्रय पत्र, एग्रीमेंट, दानपत्र, कार्यवृत्तनामा, विकास समझौता, लीज, हस्तांतरण, बंधक,
3. निबंधन कार्यालय- अवर निबंधन कार्यालय दानापुर
4. बैंक का नाम एवं शाखा- भारतीय स्टेट बैंक दानापुर
5. भुगतान की जानेवाली राशी का विवरण :

भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम	कुल रकम
स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प शुल्क लघु शीर्ष -103- दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाया उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई -75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड -R0030021030001, A/c No.-10963226587	720500	720500
निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष -0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष -03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष -104- दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष -0001, प्राथमिक इकाई 75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड - R0030031040001, A/c No.-10963226576	20,000	20,000
भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष -0029- भू राजस्व लघु शीर्ष -800- अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष -0006- अन्य मदें - प्राथमिक इकाई -75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड- R0029008000006, A/c No.-10963226598		

भुगतान का माध्यम : नगद/ चेक/ ड्राफ्ट — कुल योग 740500/-
कुल राशि शब्दों में -

स्थान- दानापुर
तारीख- 29/1/15

- चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।
- चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तर्गत होने के पश्चात ही मान्य होगी

FOR USE OF THE BANK

स्कॉल नं0 ---- तारीख ----
रुपया ---- में दिये गए विवरण के अनुसार रु0 ----
रुपये प्राप्त किए।

SBI, DANAPUR
HARENDRA KUMAR SINGH

निदेशक/ जी.पी.ओ. जमा करने का विवरण
एस्क्रो खाता नं0 : A/c No. 30[illegible]6198
जमा करने की तिथि :
बैंक स्कॉल नं0:
(दस्तावेज के पृष्ठ की संख्या -2)

600
740500
740,100

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

1. लेख्यकारीगण का पूरा नाम एवं पताः–

(1) श्री प्रेम रतन सिंह

(2) श्री राज रतन सिंह

(3) श्री विद्या रतन सिंह

सभी के पिता का नाम स्वर्गीय नियम पाल सिंह , निवास स्थान नया टोला सगुना थाना वो पत्रालय दानापुर , जिला पटना , जिन्हें इसके पश्चात **जमीन मालिक / प्रथम पक्ष** के नाम से सम्बोधित किया जायेगा,

4. **मेसर्स शीतल होम्स ,** एक पार्टनरशीप फर्म , जिसका निबधित कार्यालय – लालजी टोला , थाना गॉधी मैदान , पत्रालय जी0 पी0 ओ0 जिला पटना द्वारा पार्टनर **श्री पशुपति नाथ तिवारी** पिता का नाम श्री गोपाल तिवारी निवास स्थान माधोपुर , थाना बिहटा , पत्रालय सदीसोपुर जिला पटना एवं (2) **श्री राम सेवक प्रसाद** पिता का नाम स्वर्गीय राम कृष्ण प्रसाद , नविास स्थान राय जय कृष्ण रोड़ , गरहट्टा , थाना खाजेकला , पत्रालय झाउगंज , जिला पटना एवं (3) श्री **विरेन्द्र प्रसाद** पिता का नाम श्री राम श्लोक सिंह , निवास स्थान ग्राम बराटपुर , थाना दीदारगंज , जिला पटना , जिन्हें इसके पश्चात **पूर्व विकासक** के नाम से सम्बोधित किया गया है , उपरोक्त सभी लेख्यकारीगण के साथ साथ उनके किसी भी कानूनी वारशान एवं उत्तराधिकारीगण वो स्थापित विधिक प्रतिनिधि गण को भी सम्मिलित समझा जायेगा , **पूर्व विकासक** से अभिप्राय उनके द्वारा जमीन मालिक के हिस्से के जमीन के पूर्व विकास एकरारनामा के विकासक रूप में से समझा जायेगा।

2. ~~लेख्यधारी का नाम~~ एवं पताः–

दीक्षा बिल्डकॉन (प्रा0) लि0 , एक कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 ई0 के अन्तर्गत निबंधित संस्था है जिसका निबंधन संख्या U45201JH2013PTC 00119 एवं निबंधित कार्यालय कुसुमपुरम् कॉलोनी , बेली रोड़ , थाना रूपसपुर , जिला पटना में स्थित है , द्वारा प्रबंध निर्देशक **श्री** लक्ष्मीकान्त प्यारे लाल पिता का नाम श्री नन्द बिहारी प्रसाद सिंह, निवास स्थान कुसुमपुरम् कॉलोनी , बेली रोड़ , थाना रूपसपुर , पत्रालय दानापुर जिला पटना

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director
3/9/2014

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

801503 में स्थित है , जिन्हें इसके आगे वर्तमान **विकासक / भवन निर्माता / उन्नयनकर्ता** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी , नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं , जो इसमें **द्वितीय पक्ष** के रूप में वर्णित हैं , के बीच सम्पादित हुआ है।

3. लेख्य प्रकारः–

भूखण्ड विकास एकरारनामा

4. भूखण्ड का विवरणः–

कुल एराजी मवाजी 39 डि0 जो **मौजा सगुना** , जो सगुना नया टोला के पास स्थित है , सर्वे थाना दानापुर , जिला पटना के थाना न0 23 (ग्यारह) , तौजी 5292 (पांच हजार दो सौ बानवे) , **खाता संख्या 106** (एक सौ छः) , सर्वे खसरा **संख्या** 251 (दो सौ एकावन) एवं 291 (दो सौ एकानवे) का अंश भाग , जिसकी चतुर्दिक सीमा निम्नवत् है।

चौहद्दी

उतर	:–	श्री राम दयाल राय
दक्षिण	:–	श्री धर्मवीर राय एवं अन्य खरीदार
पूरब	:–	श्री जय प्रकाश राय
पश्चिम	:–	श्री भुवनेश्वर प्रसाद , श्री मनोज कुमार सिन्हा , श्री शिव चन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य

उपरोक्त सम्पति का प्रचलित आवासीय मूल्य मो0 3,60,75,000/– तीन करोड़ साठ लाख पचहतर रूपया है।

संदर्भ

यह कि कंडिका संख्या –4 में वर्णित सम्पति में से मवाजी 19½ डि0 जमीन की खरीदारी श्री नियम पाल सिंह ने अपने खास अर्जित आय से बजरिय वशिका केवाला वय ला कलामी दिनांक 10–04–1940 ई0 को नबिस्ते श्री रोहन महतो

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

पिता का नाम स्वर्गीय सुखु महतो , निवास स्थान सुलतानपुर , थाना दानापुर , जिला पटना से वय खरीद किया था। जिसका पुस्तक संख्या 1 , जिल्द संख्या 14 , पृष्ट संख्या 124 से 126 , निबंधन संख्या 999 सन् 1940 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो पुनः उक्त श्री नियम पाल सिंह ने दिनांक 25–06–1941 ई0 को उक्त सर्वे खसरा संख्या 251 एवं 291 में मवाजी 19½ डि0 जमीन की खरीदारी श्री राम चन्द्र महतो पिता का नाम स्वर्गीय सुखु महतो निवास स्थान सुलतानपुर थाना दानापुर , जिला पटना से वय खरीद किया था। जिसका पुस्तक संख्या 1 , जिल्द संख्या 22 , पृष्ट संख्या 393 से 395 , निबंधन संख्या 2756 सन् 1941 ई0 निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। वो तारीख खरीदारी के दिन से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्री नियम पाल सिंह स्वयं अपने खरीदारी की गयी सम्पति पर काबिज दखिल रहकर अपने तीन पुत्रगण को अपना वारिस जायज छोड.कर कर गये। तदनुसार जमीन मालिक प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से स्वामी के रूप में शान्तिपूर्वक दखल कब्जे में रखकर एवं अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान का भूगतान करते चले आ रहे हैं। वो जमीन मालिक का नाम बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमाबन्दी रैयत संख्या 2903/1 में दर्ज पाया गया है। इस तरह से जमीन मालिक लेख्य सम्पति का अन्तरण एवं किसी प्रकार का एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

और यह कि उक्त जमीन मालिक ने उक्त सम्पति पर काबिज दखिल रहते हुये उक्त सम्पति में बहुमंजिला इमारत निर्माण के उद्येश्य से दिनांक 03–09–2010 ई0 को एक विकास एकरारनामा का निष्पादन मेससे शीतल होम्स , लेख्यकारी न0 4 , जिन्हें इसके पश्चात **पूर्व विकासक** के नाम से किया। जिसका निबंधन अवर निबंधन कार्यालय दानापुर के दस्तावेज संख्या 7834 के रूप में पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 115 के पृष्ट संख्या 286 से 305 तक सीडी न0 18 सन् 2010 ई0 में किया गया।

और यह कि लेख्यकारी न0 4 , पूर्व विकासक ने विकास एकरानामा दिनांक 03–09–2010 के शर्तो के अनुरूप प्राधिकार से भवन निर्माण हेतू प्रारूप (नक्शा) पारित करवाया। जिसका प्लॉन केश न0 NPD-CP-R-O RAB/30/03/2011 दिनांक 30–03–20[illegible] ई0 है। लेकिन इसी बीच लेख्यकारी न0 4 **श्री पशुपति**

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

नाथ तिवारी एवं उनके अन्य साझेदारो के समक्ष वित्तीय अभाव हो गया। जिसके कारण उक्त एराजी भवन निर्माण कार्य नहीं हो सका। उपरोक्त तथ्यों की पूरी जानकारी जमीन मालिक श्री प्रेम रतन सिंह वगैरह को भी थी तथा पूर्व विकासक के वित्तीय परेशानी से उक्त जमीन मालिक प्रथम पक्ष भी अवगत हैं।

और यह कि पूर्व विकासक द्वारा विकास एकरारनामा दिनांक 03–09–2010 ई0 के अनुरूप भवन निर्माण कार्य करना सम्भव नहीं है। ऐसी हालत में उक्त जमीन में भवन निर्माण करना लेख्यकारीगण के लिये सम्भव नहीं लग पा रहा है। जिसके कारण लेख्यकारी न0 4 ने जमीन मालिक लेख्यकारी न0 1 से 3 के साथ राय एवं परामर्श करके यह तय किया कि उक्त भवन के निर्माण एवं निर्मित क्षेत्र , जो विकासक के हिस्से का होगा , की बिक्री हेतू किसी अन्य विकासक के साथ नया एकरारनामा मनोबंध किया जाये। जो दिनांक 03–09–2010 ई0 को निबंधित दस्तावेज विकास एकसनामा के प्रारूप एवं प्रावधानों एवं शर्तो के अनुसार ही परिचालित वो संचालित होगा।

और यह कि लेख्यधारी वर्तमान विकासक ने उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में जमीन मालिक , लेख्यकारी न0 1 से 3 , पूर्व विकासक लेख्यकारी न0 4 से आपसी परामर्श से उपरोक्त कंडिका संख्या 4 में वर्णित सम्पति पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण हेतू तैयार हुये। जिसके फलस्वरूप वर्तमान मनोबंध उभय पक्षों के निम्नलिखित शर्तो पर निष्पादित किया जाता है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के सहमति से यह तय किया कि कंडिका संख्या 4 की जमीन पर नगर परिषद् दानापुर द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान के अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएगें और आरम्भ से अंत तक जमीन मालिक लेख्यकारी न0 1 से 3 का एक रूपया भी उक्त निर्माण कार्य में खर्च नहीं होगा।

2. यह कि ज़मीन मालिक , लेख्यकारी न0 1 से 3 का सम्पूर्ण परम निर्मित क्षेत्र में पूर्व की भांति **43 प्रतिशत** हिस्सा होगा एवं शेष **57 प्रतिशत** परम निर्मित क्षेत्र में से **5 प्रतिशत** लेख्यकारी न0 4 का हिस्सा होगा एवं **52** प्रतिशत लेख्यधारी द्वितीय पक्ष का हिस्सा होगा।

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

3-9-14
8/9/2014
3/9/2014
3.9.014

3. यह कि भवन निर्माण के क्रम में जितना भी पूंजी लेख्यकारी न0 4 का लगा हुआ है , उसका मूल्यांकन उभय पक्षों के (वास्तु विदो) द्वारा कर लिया जायेगा और वह पूंजी लेख्यकारी न0 4 का लागत पूंजी समझा जायेगा। इसके समायोजन के पश्चात उक्त बहुमंजिला इमारत के निर्माण के क्रम में जितना भी पूंजी लगेगा उसे लेख्यधारी वहन करेगें।

4. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए हैं कि द्वितीय पक्ष अनुसूची संख्या 1 में वर्णित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना करेगें और उपरोक्त निर्माण के क्रम में जमीन मालिक प्रथम पक्ष का आरम्भ से अंत तक एक रूपया भी खर्च नहीं होगा।

5. यह कि विकासकर्ता विभिन्न भूखण्डों का मिलाकर भी आवासीय इमारत एवं आधुनिक तरीके से फ्लैटों का निर्माण कर सकते हैं। उस स्थिति में भूखण्ड के रकबा के अनुसार उभय पक्षों के प्रतिशत का निर्धारण होगा तथा आवासीय बहुमंजिला कम्पलेक्स का निर्माण भूखण्ड स्वामी के जमीन पर या अनेक भूखण्ड के सम्मिलित जमीन पर होगा।

6. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अन्तिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर Terrace का व्यवहार जमीन मालिक के साथ साथ उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गये सदस्य भी करेगें।

7. यह कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण इस विलेख के अनुसूची संख्या I एवं II में वर्णित Specification (विशिष्टताओं) के अनुसार ही होगा।

8. यह कि उपरोक्त हिस्सा के अलावा जमीन मालिक को पार्किंग स्थल एवं अन्य सामूहिक उपयोग की चीजें भी प्राप्त होगा। जिसके लिये अलग से कोई राशि जमीन मालिक को भुगतान नहीं करना होगा।

9. यह कि उपरोक्त परम निर्मित क्षेत्र के अलावा जो भी निर्माण कार्य उक्त

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director
3/9/2014

3-9-14
3/9/2014
Ram Sunak Rajwar
3.9.014

परियोजना में होगा उसके स्वामी भू स्वामी एवं भू विकासक द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्रतिशत के अनुसार हकदार होगे।

10. यह कि डेवेलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का सभी आधनिक सुविधाओं के साथ होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ गुणवता वाले लगाये जायेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक लेख्यकारीगण डेवेलपर लेख्यधारी को उनके कर्मचारियों , अभिकर्ताओं , कारीगरों , अभियन्ताओं एवं मजदुरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देगें , जिससे कि वे विभिन्न विकास – कार्य यथ नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड.कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो , भवन निर्माण की सीमा **तीन वर्ष** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छः महीने का कृपा काल दिया जायेगा। उक्त अवधि की गिनती निर्धारित अवधि एवं कृपा काल के अवधि की गिनती इस विकास एकरारनामा के निबंधन की तिथि से की जायेगी।

13. यह कि जमीन मालिक तथा भू विकासक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार एपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 , उपधारा 1 एवं 2 तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेगें और अधिनियम के अनुरूप प्रस्तावित भवन का नक्शा पारित होने के पश्चात भू स्वामी एवं भू विकासक के हिस्सा का विभाजन कर लिया जायेगा। विकासक / संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होगें तथा वे अपने अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने / अन्तरण करने के हकदार होगें और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करने के लिये स्वतंत्र होगें , किराया पर लगावें या स्वयं अपने अपने उपयोग में लावें , जिसमे उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा।

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

14 यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का अनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को उनके हिस्सा का परम निर्मित क्षेत्र को सुपुर्द कर देगें , प्रत्येक कोटि के घरें फ्लैटों पर अर्थात वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होगें एवं डेवेलपर या उनके नामित को अनुपातिक रूप से शेष हिस्सा के भागीदार होगें , साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

15. यह कि यथा वर्णित जमीन मालिक का क्षेत्र पर जमीन मालिक का पूर्ण अधिकार होगा तथा फ्लैटों के अलावे सम्मिलित क्षेत्र अर्थात सीढी घर , रास्ता , पम्प घर , जेनेरेटर घर , वाहन क्षेत्र , प्रहरी घर , सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनो के द्वारा अनुपातिक रूप से उपयोग की जायगी। साथ ही साथ उभय पक्षों के बीच यह शर्त निर्धारित है कि वर्तमान में पारित नक्शे के अलावा यदि भविष्य में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त निर्माण की स्वीकृति मिलती है या विकासकर्ता अन्य किसी तरीके से अतिरिक्त निर्माण कार्य करते हैं तब वैसी हालत में जमीन मालिक का हिस्सा उपरोक्त तरीके से निर्धारित किया जायगा। जबकि इसमें होने वाली प्रत्येक खर्च को डेवेलपर लेख्यधारी द्वारा वहन किया जायगा।

16. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत / फ्लैट बनाकर , कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य Tenements के द्वारा जो डी0 एम0 सी0 / पी0 एम0 सी0 और अन्य सम्बन्धित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शे की शर्तों और बंधजों के अनुसार करेगें अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरूरत पडे तो वैसे सभी कार्य (Acts , deeds and matters) का करने के लिए डेवलपर को अधिकृत करते हैं जिसमे खास बातें निम्नलिखीत है:–

(क) उक्त जमीन पर सम्बन्धित प्राधिकार के नियमों एवं परनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम से प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना , कानूनी कदमों , वचनबद्धता सम्बन्धी [illegible] तैयार करना , हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

(ख) इमारतों तथा परियोजना के लिए सर्वेयर , इंजीनियर , ठेकेदार , मजदूर और अन्य लोगों को नियुक्त करना।

(ग) पानी , बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेन्ट , लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

(घ) किसी भी याचिका (Writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट Tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना , साथ ही किसी न्यायालय , सरकारी अधिकारी या Tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से सम्बन्धित किसी मामले , मुकदमें में उपस्थित होना , बचाव करना , मुंकदमा दायर करना , सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवलपर अपने खर्चे पर करेगें

(ड.) इमारत कमपलेक्स में फ्लैट /Tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट / Tenements के एवज में वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

(च) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचें , आबंटित करें और खरीदारो के नाम बिक्रय पत्र निष्पादित करें।

(छ) जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

(ज) डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पर्वोक्त जमीन पर उन्नयन उस पर एक या अधिक भवन , फ्लैट , पार्किंग स्थान और अन्य Tenements इमारत नक्शे के अनुसार बनाकर करेगें और उन्हें बेचेगें , आबंटित करेगें अथवा निरस्त करेगें , जैसी जरूरत हो , वैसी करेगें , ऐसे अधिकार उन्हें डेवेलपर क्षेत्र के निर्माण पर होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाईयों / Tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

(झ) पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को सम्बन्धित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे नगर परिषद् दानापुर /पटना नगर निगम अथवा सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचनबद्धता को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं , विशिष्टयॉ , घोषणाओं , शपथ पत्रों और अन्य कानूनी अथवा Statutory कागजातों का डी0 एम0 सी0 / पी0 एम0 सी0 अथवा अन्य अधिकारियों से हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

17. **यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं** कि:—

(क) कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से सम्बन्धित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हे इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ख) कि उक्त जमीन से सम्बन्धि इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा , मांग , निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थानीय निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(ग) कि उक्त जमीन से सम्बन्धित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(घ) कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का काई अधिकार , हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(ड.) कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देगें।

(च) कि उक्त जमीन के अधिकार से सम्बन्धित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो जो जमीन मालिक उसका भूगतान करेगें।

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

(छ) कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण , अंतरण के उद्येश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर का हित एवं हिस्सा सुरक्षित रहेगा तथा जमीन मालिक वचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरूद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेगें।

(ज) कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत सम्पति में अपने हिस्से को बेचने , पट्टा पर देने अथवा स्वयं अपने निजी उपयोग में लाने का अधिकार होगा।

18. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन **दीक्षा विल्डकॉन (प्रा0) लि0** के नाम से करेगें और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम **शीतल छाया** होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जायगा तथा केवल डेवलपर ही सरकार , डी0 एम0 सी0 , पी0 एम0 सी0 एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जबाबदेह होगं तथा जमीन मालिक को इससे सम्बन्धित सभी कार्यवाही , मांग , दावा , खर्च , नुकसान , दण्ड अथवा अन्य कार्य असफलता , बिलम्ब शुल्क या अनुबंध विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमो के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेगें।

19. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधजो के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि को निष्पादित करेगें।

20. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे सम्बन्धित सभी जेब खर्च , शुल्क , कानूनी खर्च , जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प और निबंधन खर्च शामिल हैं , डेवेलपर या उनके नामितों द्वारा वहन किया जायगा।

21. यह कि इस वशिका विकास एकरारनामा के निष्पादन की तिथि से निर्धारित अवधि या छः महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवलपर इमारत

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

कि निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं तो , वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपत्ति को छोड. कर जो इस निर्माण कार्य को प्रभावित करता है , वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पूरा न करने के कारण डेवेलपर को जमीन मालिक को बिलम्ब दण्ड देना होगा जो मो0 10,000/– दस हजार रूपया प्रति माह के अनुसार देय होगा।

22. यह कि निर्माण अवधि में भूस्वामी बहुमंजिला इमारत के निर्माण हेतू व्यवहार में लाये गये सामानों की जॉच किसी भी कार्य दिवस में उचित अवधि के अन्दर कर सकते हैं। इसमें भू– विकासक को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा।

23. यह कि यदि भूविकासक उपरोक्त इमारत के रख रखाव एवं प्रबंध हेतू किसी सहकारी संस्था या प्रबंध समिति को गठन करते हैं तो उसके स्थापना खर्च का व्यय भू स्वामी को नहीं देना होगा।

24. यह कि इमारत में लगने वाली अन्य सुविधायें जैसे बिजली कनेक्शन (मीटर सहित) इत्यादि खर्च को वहन करने की कोई जिम्मेदारी भूस्वामी की नहीं हागी।

25. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा सीढी घर , रास्ता , पानी की टंकी , जेनेरेटर कमरा खुला जगह , वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को सामूहिक अधिकार होगा।

26. डेवेलपर डी0 एम0 सी0 / पी0 एम0 सी0 के नियम परिनियम और कानूनों का दृढ.ता से पालन करेगें और सर्वदा किसी क्षति , दावा , मांग जो

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director
3/9/2014

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

नियमों और कानूनों उलंघन से उत्पन्न हो उसे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेगें।

27. इमारत की योजना में डेवेलपर सभी सामान्य (Civil) , बिजली , Plumbing and Sanitory कार्यो , जिसमें उपरी टंकी , पानी व्यवस्था , नल पम्प , गृह सेवा आदि सामिल है , वे डी0 एम0 सी0 /पी0 एम0 सी0 की स्वीकृति योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकार की देय किसी नुकसान , दावा , क्षतिपूर्ति के लिए डेवलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से सम्बन्धित मुकदमें में बचाव करने के लिए जबाबदेह नहीं होगे।

29. प्रस्तावित इमारत डी0 एम0 सी0 / पी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

30. यह कि जमीन मालिक को बहुमंजिला इमारत के निर्माण की अवधि में काम रोकने या रूकवाने का अधिकार नहीं होगा। वो यदि किसी अन्य पक्ष के द्वारा स्वत्व सम्बन्धी हस्तक्षेप के फलस्वरूप निर्माण कार्य बाधित होती है , तो जितना समय तक निर्माण कार्य रूका रहता है , उतना दिन की अवधि में विस्तार होगी।

अनुसूची संख्या –I

जमीन मालिक के क्षेत्र कास वास्तु शास्त्रीय एवं ढ.ांचागत विवरण

ढ.ांचा	:–	डी0 एम0 सी0 /पी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत आर0 सी0 सी0 फ्रेम ढांचा।
Civil कार्य	:–	डी0 एम0 सी0 / पी0 एम0 सी0 द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि को सिमेन्ट , बालू एवं मसाला।
परिसज्जन	:–	जमीन मालिक के हिस्से के सभी भीतरी दिवारे एवं छत Wall Putty करके देगें एवं

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

बाहर की दिवारें प्लास्टर की होगी और स्नोसेम से पुती होगी।

दरवाजें :– दरवाजे का चौखट साल उड तथा दरवाजे का पल्ला 32 एम0 एम0 कम्पनी द्वारा निर्मित हार्ड प्लाई बोर्ड का होगा तथा उस पर दो तह सिन्थेटिक इनेमेंल पेन्ट होगा। पेन्ट की गुणवता प्रथम कोटि का होगा।

खिडकियॉ :– लकडी के चौखट एवं लकडी के फ्रेम में ग्रील सहित एवं पूर्णतः Glazed खिड.कियॉ।

फर्श :– भिट्रीफायड टाइल्स (2 x 2)

शौचालय :– मुख्य शयन कक्ष से जुडे. एक शौचालय में गर्म पानी का नल , सफेद Glazed टाइल्स 6 फीट उॅचाईं तक , सभी शौचालय का साजो सामान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथ रूम का फ्लोर मार्बल का होगा।

रसोई घर :– पौलिस्ड मार्बल का कार्यकारी Platform तथा स्टेनलेस स्टील का सिक , कार्यकारी Platform से 24 ईंच उॅची रंगीन Tiles

बिजली व्यवस्था :– मानक बिजली सामग्री के साथ Concealed पी0 भी0 सी0 Conduit Wring , मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट एवं ड्राइंग एवं मास्टर बेड. रूमें में केबुल प्वाइंट ।

जेनेरेटर :– प्रतीक्षारत बिजली व्यवस्था हेतू ध्वनिरहत जेनरेटर

भूस्वामी के हिस्से के फ्लैट के लिये लिफ्ट , जेनरेटर , विद्युत कनेक्शन , ट्रान्सफार्मर इत्यादि विकासक अपने खर्चे से लगायेगें। इससे जमीन मालिक को कोई सरोकार नहीं रहेगा।

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 721500/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 741100/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	600
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20600

Registering Officer
Danapur

Date: 04/09/2014

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Wednesday, 03rd September 2014 by Prem Ratan Singh S/O Late Niyam Pal Singh by profession Others. Status - Executant

प्रेम रतन सिंह
4.9.014

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:04/09/2014**

Registering Officer
Danapur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Anil Kumar' age '26' Sex 'M', 'S/O Lalan Ram', resident of 'Chandni Chowk, Oberya Road, Hatia Ranchi'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Danapur

Date : 04/09/2014

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 171 on pages on 182 -199 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-26 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Danapur

Date : 04/09/2014

Token No. : 8707 **Year : 2014** **S.No. : 8642** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 8429**

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

यह कि यह **एकरारनामा** दोनो पक्षों ने अपने पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच समझकर निम्नलिखीत गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे। समाप्त।

साक्ष्यगण

1. गुलफाम
पिता स्व० हाजी [illegible]
मो० नालंदा हाजीपुर
पटना
3/9/14

2. अनिल कुमार
पिता श्री लखन राम
पता - शंकरपुर
थाना - नासरिगंज
जिला - रोहतास
03/09/2014

3. उमेश कुमार वर्मा
पिता - स्व० योगेश्वर प्रसाद वर्मा
मो० - कंकड़बाग
थाना - बेऊर
जिला - पटना
03/09/2014

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

प्रेम रतन सिंह
3.9.014

राजरतन सिंह
3.9.014

विधारतन सिंह
3-9-14

पशुपति नाथ तिवारी
3/9/2014

Ram Sumer Prasad 3/9/2014

विश्व प्रसाद
3/9/014

लेख्यधारी का हस्ताक्षर

For Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director
3/9/2014

~~विश्व प्रसाद~~
~~3/9/014~~

प्रारूपकर्ता

3/9/2014

दस्तावेज लेखक [illegible]
[illegible]

Diksha Buildcon Pvt. Ltd.
Director

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

आदेश-पत्रक

वाद सं0- 5/17 (निर्माण)

अशोक कुमार बनाम प्रेम रतन सिंह एवं अन्य

क्रमांक	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
25-6-18	इस वाद की कार्रवाई श्री अशोक कुमार वल्द श्री राधेश्याम राय, साकिन-खरंजा रोड, सगुना मोड़, थाना-दानापुर, जिला-पटना से दिनांक 06.03.2017 को प्राप्त परिवाद-पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई है। वादी का कहना है कि सगुना मोड़ स्थित थाना नं0-23, तौजी नं0-5292, खाता नं0-106, प्लौट नं0-251 एवं 291 पर प्रेम रतन सिंह, राज रतन सिंह, विद्या रतन सिंह फर्जी कागज के आधार पर वर्ष 2010 में नगर परिषद के पदाधिकारी को गुमराह कर छल एवं धोखाधड़ी कर प्लौट नं0- 251 एवं 291 को सटा हुआ बताकर नक्शा पास करवाये हैं। प्राप्त उक्त परिवाद पत्र के आधार पर कार्यालय ज्ञापांक 406 दिनांक 11.03.2017 द्वारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्रबंध निदेशक, दीक्षा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, कुसुमपुरम कॉलोनी, बेली रोड, दानापुर को तत्काल भवन निर्माण कार्य को रोकते हुए भवन निर्माण से संबंधित सभी कागजात, पारित नक्शा के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजी गई। नोटिस की प्रति वादी, प्रतिवादी एवं संबंधित थानाध्यक्ष, दानापुर को भी भेजी गई है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत अपने पक्ष में लिखा है कि प्लौट नं0 251 एवं प्लौट नं0 291 दोनों प्लौट अलग-अलग व्यक्तियों के प्लौट हैं। उनके दोनों सेल डीड में मूल प्लौट नं0- 291 है नकि 251। उनके दोनों सेल डीड में मूल प्लौट नं0 291 ही है और जब से प्रतिवादी इस प्लौट का केवाला लिये हैं तब से आज तक शान्तिपूर्वक दखल-कब्जे में चला आ रहा है। केवाला में जो चौहद्दी केवाला के समय थे वे आज भी उनके मूल प्लौट नं0 291 के चौहद्दीदार के रूप में कायम है। डीड तैयार करते समय कातिब की भूल से प्लौट नं0 291 की जगह 251 अंकित हो गया है। प्लौट नं. 251 की चौहद्दी अलग है जो कभी भी प्रतिवादी के मूल प्लौट नं0 291 की चौहद्दी से मेल नहीं करता है। दोनों प्लौट में काफी दूरी है। Appeal from Appellate decree No- 279 of 1987(13-04-2004) Ram Jiwan Rai and Ors -vs- Deoki Nandan Rai and Ors. में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो इस प्रकार है :- Transfer of property Act. 1882 - Section- 54- Genuineness of sale deed - Where both the boundaries and the Plot Number are given,	

The mistake in the Plot Number must does not affect the identity of the property sold (Para-13) उक्त का उल्लेख प्रतिवादियों ने अपने पक्ष में दिये गये जवाब में भी किया है।

इस मामले की स्थल जाँच अमीन एवं कनीय अभियंता से कराई गई। इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

1. दीक्षा बिल्डकॉन प्रा0 लि0 का निर्माण मौजा-सगुना, थाना नं0-23, खेसरा नं0-293 में G+4 का निर्माण हो चुका है एवं खेसरा नं0-291 में कार्य रुका हुआ है।
2. खेसरा नं0 251 खेसरा नं0- 291 से करीब-करीब 700 फीट की दूरी पर है। निर्माण कार्य खेसरा नं0- 291 में प्रस्तावित है जिसकी चौहद्दी भी केवल 291 की है।
3. दिनांक 30.03.2011 को जो नक्शा पारित हुआ है, वह केवल खेसरा नं0- 291 एवं 293 का ही है।
4. खेसरा नं0 251 स्व0 सीताब राय का है।
5. वसीका में मौजा-सगुना, थाना नं0-23, खेसरा नं0-251 एवं 291, एराजी 19.50+19.50=39 डीसमील दर्ज है लेकिन दाखिल-खारिज प्रतिवेदन एवं राजस्व रसीद पर केवल खेसरा नं0 291 दर्ज है।
6. राजस्व रसीद एवं दाखिल खारिज प्रतिवेदन पर खेसरा नं0 251 का जिक्र नहीं है।
7. वसीका में दर्ज चौहद्दी केवल खेसरा नं0 291 का है।

उभय पक्षों का सुनने एवं अमीन तथा कनीय अभियंता से प्राप्त संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद वादी का परिवाद पत्र अस्वीकृत करते हुए भवन निर्माण कार्य पर लगाए गये रोक को हटाया जाता है।

यदि वादी (आवेदक) चाहें तो सक्षम न्यायालय "अपील प्राधिकार (Appellate Tribunal) में इस मामले के निष्पादन हेतु वाद दायर कर सकते हैं।

इस आदेश की प्रति सभी पक्षकारों एवं थानाध्यक्ष, दानापुर को दी जाए।

हस्ताक्षरित एवं संशोधित

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक 1256 दिनांक 25/12/18

प्रतिलिपिः- 1. श्री अशोक कुमार, वल्द- श्री राधेश्याम राय, खरंजा रोड, सगुना मोड़, दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्रबंध निदेशक, दीक्षा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, कुसुमपुरम कालोनी, बेली रोड, दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. थानाध्यक्ष, दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत